राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 68 / 2023 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी–पंजाब नेशनल बैंक, मंडलं शस्त्रा विभाग, तृतीय तल, एलआईसी भवन सब सिटी, रेती स्टेण्ड, उदयपुर

बनाम

1. मैसर्स शिव शक्ति किराणा एण्ड जनरल स्टोर प्रो0 देवी लाल पुत्र प्यारचंद तेली निवासी मुख्य मालोला रोड, गायत्री नगर, भीलवाड़ा
2. इन्द्रा देवी तेली पत्नी देवी लाल तेली निवासी मुख्य मालोला रोड, गायत्री नगर, भीलवाड़ा
3. देवी लाल तेली पुत्र प्यारचंद तेली निवासी मुख्य मालोला रोड, गायत्री नगर, भीलवाड़ा।

—— प्रार्थी **——अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

प्राधिकृत अधिकारी– श्री देवेन्द्र सिंह चुण्डावत।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक : 29.05.2023

प्राधिकृत अधिकारी–पंजाब नेशनल बैंक, मंडल शस्त्रा विभाग, तृतीय तल, एलआईसी भवन सब सिटी, रेती स्टेण्ड, उदयपुर की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की गयी थी, जिसमें अप्रार्थी को 4,50,000/– रूपये का ऋण दिनांक 25.10.2016 को एवं 10,50,000/– रूपये का ऋण दिनांक 10.02.2016 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो अचल सम्पति – **श्री देवी लाल तेली पुत्र प्यारचंद तेली के नाम साम्यिक बंधक आवासीय मकान जो आराजी नंबर 1020, प्लॉट नंबर सी–465, गायत्री नगर, मालोला रोड, राजस्व ग्राम मलाण, भीलवाड़ा पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 118.67 वर्गगज है जिसकी सीमाएं उत्तर–प्लॉट नं. सी–466, दक्षिण–रोड, पूर्व–रोड, पश्चिम–प्लॉट नंबर सी–470 है** (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार) रहन रखी गयी। दिनांक 31.08.2022 तक कुल बकाया ऋण की राशि 9,93,807.47/– रूपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।